न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) ,सीकर

उनवान रामप्रकाश बनाम मेघाराम आदि

किस्म मुकदमा.....प्रार्थना पत्र.....मुकदमा नं..... 105/2022

दिनांक 29/5/24 आज्ञा पत्र

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फॅर्म करने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा ग्राम भढाढर तहसील सीकर ग्रामीण विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 351, 352, व 353 कुल किता 3 कुल रकबा 1.83 है0 प्रार्थीगणएवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का हक एवं हिस्सा 1/3 एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चला आ रहा है। वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से आपसी सहमति से काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी मनमुटाव के कारण विवादित भूमि को मुताबिक हक हिस्सा सयुक्त रूप से कृषि करने एवं विकसित कर अधिक उपज लेने में बाधा उत्पन्न होने से निजात मिल सके। विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में व मौके, नींव, सींव तय करवाकर बटंवारा न होने तक प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग में लेने, कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से बाज रहे का अनुतोष चाहा गया है

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का रेवन्यु रिकार्ड के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 351, 352, व 353 कुल किता 3 कुल रकबा 1.83 है0 में संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा रिकार्ड में थी तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 0.6800 है सम्पूर्ण वाकै ग्राम भढाढर तहसील सीकर ग्रामीण में अवस्थित थी आज से लगभग 15–16 वर्ष पूर्व प्राथीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य ग्राम के मौजिज व्यक्तियो के समक्ष मौखिक रूप से यह समझौता हुआ था कि प्रार्थी गण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 423 से लगती हुई कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 जो सम्पूर्ण आप्रार्थी संख्या 1 की 0.6800 है0 थी उसे प्रार्थीगण ने अपने कृषि भूमि खसरा नम्बर 423 में मिलाने तथा अपना 0.6100 है0 हिस्सा जो कृषि भूमि खसरा नम्बर 351, 352, व 353 में था उसे अप्रार्थी संख्या 1 को देने के लिए अपनी सहमति दी थी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 0.6800है0 पर उसी दिन कब्जा प्राप्त कर काश्त करना शुरू कर दिया था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया हुआ होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फॅर्म करने पर वकील उभयपक्ष सीधी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदत के सारभूत तथ्यो से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 02.09.2022 द्वारा विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 351, 352, व 353 कुल किता 3 कुल रकबा 1.83 है0 वाकै ग्राम भढाढर तहसील सीकर ग्रामीण राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के संबध में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंध किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमियां वाके ग्राम ग्राम भढाढर तहसील सीकर ग्रामीण में अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमियो से विवादित कृषि भूमि से विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में व मौके, नींव, सींव तय करवाकर बटंवारा न होने तक प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग में लेने, कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने तथा अपनी कुचेष्टाओं में कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण के विधित अधिकारो पर कुठाराघात होकर अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना संभव नही हो पायेगा। इस प्रकार से प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से

प्रतिबधित किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वाकै ग्राम भढाढर तहसील सीकर ग्रामीण में अवस्थित विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 351, 352, व 353 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8300 है0 का राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला मेरे द्वारा दिनांक 29/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर